न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :— 139 / 2023

अपीलान्टान	बनाम	रेस्पाडेन्टान
1. मधु बेवा जवारराम जाति गुर्जर आयु 77 वर्ष निवासी रायराकला तहसील सोजत जिला पाली राज0		1. सरपंच जरिये ग्राम पचायत रायराकंला तहसील सोजत जिला पाली 2. सुमन कवर पत्नी चन्द्रसिंह जाति सोजत जिला पाली 3. तहसीलदार सोजत

म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, बसिलसिले स्वीकृत नामान्तरण संख्या 1739, स्वीकृत सरपंच ग्राम पंचायत रायराकंला द्वारा दिनांक 01.10. 2019

उपस्थितिः—

1. श्री अर्जुनसिह राजपुरोहित , अधिवक्तागण अपीलान्टान उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत उपस्थित

—: निर्णय :— दिनांक — 13/03/24

अधिवक्ता अपीलान्ट ने राजस्व अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टान अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि सरहद मौजा ग्राम रायरा कला खुर्द में अपीलांट की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमी ख.न. 634 / 2839 रकबा 0.6800 है0 किस्म बारानी दोयम एवं ख.न. 637 / 1 रकबा 1.4900 है0 किस्म बारानी दोयम आई हुई स्थित है। जवारराम देहान्त के पश्चात अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए आर्थिक तंगी के कारण अपीलान्ट को अपने हिस्से मेसें 1 / 12 हिस्सा रेस्पोडेन्ड स. 2 को दिनांक 29.08.2016 को बेचान कर तेहरीर व तकमील करवा दिया गया। पटवारी हल्का रायरा कल्ला द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करते समय बीना कोई जांच उक्त नामांतरकरण दर्ज कर दिया। बिना जांच के सम्बधित पटवारी द्वारा म्युटेशन न. 1939 स्वीकृत करवाया जिसमें उक्त कृषि भूमि में सम्पूर्ण 1 / 4 हिस्से का म्यूटेशन रेस्पोडेन्ट सं. 2 के पक्ष में भर दिया गया। जबकी बेचान अनुसार पटवारी हल्का द्वारा सम्पूर्ण हिस्से का 1 / 12 हिस्से का हि नामांतरकरण दर्ज करना चाहिए था। अधि. अपिलांट द्वारा धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी को म्युटेशन संख्या 1939 कि नकल प्राप्त करने व उसी रोज बेचान नामा कि प्रमाणित प्रति दिनांक 27.07.2023 को प्राप्त की एवं जिससे जानकारी प्राप्त होते हि दिनांक 07.08.2023 को अपील न्यायालय में पेश कर दि गई जिससे की दिनांक 01.10.2019 से 07.08.2023 तक कि देरिना अवधि को कंडोन किया जा कर अपीलंट की अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत रायरा कल्ला द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण सं. 1939 दिनांक 01.10.2019 को अपास्त कर माफीक बेचाननामा दिनांक 29.08.2016 के अनुसार पुनः नये सिरे से दर्ज करने की इस्तदुआ की है।

इस पर राजस्व अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टान को जरिए सम्मन्स तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट बावजुद सूचना / तामील बार बार आवाजे लगाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 के विरूद्ध आज एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

बहस अधि. अपीलांट एवं तहसीलदार सुनी गई। बहस के दौरान अधि. ने निवेदन किया कि पटवारी हल्का रायरा कल्ला द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करते समय बिना कोई जांच नामांतरकरण 1939 दर्ज कर दिया। बिना जांच के सम्बधित पटवारी द्वारा म्युटेशन न. 1939 स्वीकृत करवाया जिसमें उक्त कृषि भूमि में सम्पूर्ण 1/4 हिस्से का म्यूटेशन रेस्पोडेन्ट स. 2 के पक्ष में भर दिया गया। जबकी बेचान अनुसार पटवारी हल्का द्वारा सम्पूर्ण हिस्से का 1/12 हिस्से का हि नामांतरकरण दर्ज करना चाहिए था। नामांतरकरण सं. 1939 दिनांक 01.10.2019 को अपास्त कर माफीक बेचाननामा दिनांक 29.08.2016 के अनुसार पुनः नये सिरे से दर्ज करने की इस्तदुआ की है। जवाब बहस में तहसीलदार द्वारा कोई आपती नहीं होना जाहिर किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना प्रत्र धारा 05 म्याद अधिनियम में वर्णित देरिना कारण युक्तियुक्त होने से देरिना अवधि 01.10.2019 से अपील प्रस्तुत करने की अवधि को कण्डोन किया जाता है। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन किया। सरहद मौजा रायरा कल्ला की कृषि भूमि खसरा नम्बर 634/2839 रकबा 0.6800 है0 किस्म बारानी दोयम एवं ख.न. 637/1 रकबा 1.4900 है0 किस्म बारानी दोयम आई हुई स्थित है। जवारराम द्वारा उक्त कृषि भूमि में सें अपने 1/4 हिस्से का 1/3 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण भूमि का 1/12 हिस्सा रेस्पोडेन्ड स. 2 को बेचान किया था। जो कि फहरिस्त के साथ दस्तावेज बेचान रजिस्टरी दिनांक 29.08.2016 से स्पष्ट होता है। लिहाजा ग्राम पंचायत रायरा कल्ला द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण सं 1939 दिनांक 01.10.2019 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार सोजत पुनः नेय सिरे से माफीक बेचान रजिस्ट्री दिनांक 29.08.2016 के अनुसार नामांतरकरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत रायरा कल्ला द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण सं. 1939 दिनांक 01.10.2019 विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाता है। तहसीलदार सोजत को पुनःनये सिरे से माफीक बेचान रजिस्ट्री दिनांक 29.08.2016 के अनुसार नामांतरकरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। **तहसीलदार सोजत को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।**

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

उपखण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 13/03/24 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)